अत्यावश्यक

पंचायत उप निर्वाचन, 2025

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार

STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

संख्या–प०नि०–30–17/2025........1144

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार

पटना, दिनांक– 19.04.25

विषय :– **पंचायत उप निर्वाचन, 2025 हेतु मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।**

प्रसंग :– **आयोग का पत्रांक–785 दिनांक–19.03.2025 एवं जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक–1430 दिनांक–16.04.2025, जिला पदाधिकारी, अररिया का पत्रांक–970 दिनांक–15.04.2025 एवं जिला पंचायत पदाधिकारी, भागलपुर का पत्रांक–930 दिनांक–16.04.2025**

महाशय,

निदेशानुसार विषयक के संबंध में कहना है कि आयोग का पत्रांक–785, दिनांक–19.03.2025 द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2025 के लिए मतदाता सूची तैयार किये जाने हेतु दिशा–निर्देश एवं कार्यक्रम प्रेषित किये गए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक–16.04.2025 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन सभी जिलों में किया जा चुका है। प्रारूप प्रकाशन के पश्चात कुछ जिलों यथा–भागलपुर, अररिया एवं सारण से मतदाताओं के नाम छुट जाने/नाम डिलिट हो जाने या डाटा अपलोड एवं सुधार करने हेतु पोर्टल खोलने हेतु अनुरोध किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि प्रारूप प्रकाशन के पश्चात मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने या प्रविष्टि में सुधार दावा/आपति के माध्यम से ही किया जाना है।

अतएव जहाँ भी इस प्रकार की मामले संज्ञान में आते हैं तो दावा/आपति की प्राप्ति एवं निराकरण के लिए निर्धारित समय के अंतर्गत त्रुटि का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (मतदाता सूची) जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं राज्य निर्वाचन आयोग की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित करेगें कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पूर्व इस प्रकार की त्रुटियों का निराकरण किया जा चुका है। उक्त संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी अपने स्तर से भी अनुश्रवण करते रहेगें ताकि स्वच्छ एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार किया जा सके।

विश्वासभाजन

19/4/25

सचिव।

ज्ञापांक– प0नि0–30–17/2025.....1144 पटना, दिनांक–....19.04.25....

प्रतिलिपिः– श्री राहुल गुप्ता, DBA, SER/श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/4/25

सचिव।

ज्ञापांक– प0नि0–30–17/2025.....1144 पटना, दिनांक–.....19.04.25

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/4/25

सचिव।

ज्ञापांक– प0नि0–30–17/2025.....1144 पटना, दिनांक–.....19.04.25

प्रतिलिपिः– सचिव, पंचायती राज विभाग, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/4/25

सचिव।